अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन(100)/2015/2022-23/ 1724 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 11 जुलाई, 2022

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान)राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः- विभिन्न राजकीय विभागों से सेवानिवृत होने वाले राजकीय कार्मिकों के पेंशन भुगतानादेश सेवानिवृत्ति के पूर्व ही जारी कराये जाने हेतु।

कृपया उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय ने पत्र संख्या-पेनि / कम्प्यु / ई-पेंशन / 2022 / 3783 / दिनांक 31.05.2022 द्वारा अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश के सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्मिकों को पेंशन दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व की समयावधि में पूर्ण कर लें ताकि सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व ही इन कार्मिकों के पेंशन भुगतानादेश इनके पेंशन निर्गमन अधिकारियों द्वारा सुगमतापूर्वक अपेक्षित कोषागारों को पेंशन भुगतान हेतु जारी किये जा सके एवं कोषागार द्वारा देय तिथि को इनके भुगतान कर दिए जाये।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य कर विभाग के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व की समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग स्तर पर श्री पी0एन0 यादव, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ई-मेल आई0डी0-paras.1081973@gov.in. व मोबाइल नम्बर- 7235003020 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य कर विभाग के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व की समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु जोन स्तर पर नोडल अधिकारी(पदनाम, ई-मेल आई0डी0 व मोबाइल नम्बर सहित) नामित करते हुए नामित नोडल अधिकारी की सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

08/07/2022
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।